भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *303
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतें

***303. डॉ. नामदेव किरसानः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में असाध्य रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इनमें कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ग) इस तथ्य के दृष्टिगत कि स्वास्थ्य सेवा पर व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला खर्च अभी भी बहुत अधिक है, क्या सरकार की देश में किफायती और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

21 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.303 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की 2017 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट "भारत: देश के राज्यों का स्वास्थ्य" के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली मौतों का अनुपात 1990 में 37.9% था जो 2016 में बढ़कर 61.8% हो गया है। रिपोर्ट यहां उपलब्ध है:

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक हिस्से के रूप में सामान्य गैर-संचारी रोगों अर्थात् मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसरों की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। समुदाय-आधारित मूल्यांकन चेकलिस्ट (सीबीएसी) का उपयोग करके मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के माध्यम से जांच की जाती है।

गैर-संचारी रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन-शैली को बढ़ावा देने के लिए किये गए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल हैं। इसके अलावा, एनपी-एनसीडी के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-संचारी रोगों के लिए जन जागरूकता सृजन (आईईसी) संबंधी कार्यकलापों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

'ईट राइट इंडिया' अभियान और 'फिट इंडिया' अभियान जैसी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक खान-पान की आदतों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। 'आज से थोड़ा कम' अभियान के अंतर्गत तेल, चीनी और नमक के सेवन में कमी लाने को प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) की हिस्सेदारी 2014-15 में 62.6% थी जो 2021-22 में घटकर 39.4% रह गई है। ओओपीई को कम करने के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:

क) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन, एनसीडी के शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने संबंधी क्रियाकलापों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के तहत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 372 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

ख) उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 कैंसर विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं।

ग) इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए झज्जर में 1,460 रोगी स्वास्थ्य परिचर्या बिस्तरों और उन्नत नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) तथा कोलकाता में 460 बिस्तरों के साथ चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है।

घ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी जिला अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

ङ) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत एनसीडी का उपचार भी उपलब्ध है। इस योजना के तहत मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिससे 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। इसमें कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोगों जैसी पुरानी बीमारियों से संबंधित चिकित्सा-प्रक्रियाएं शामिल हैं।

च) स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) के अंतर्गत कैंसर से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

छ) जन औषधि स्टोर और उपचार के लिए किफायती दवाएं एवं विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसियां जैसी पहलें एनसीडी के लिए रियायती दरों पर किफायती दवाएं उपलब्ध कराती हैं।

ज) कुछ कैंसर रोधी दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए उन पर सीमा शुल्क और जीएसटी में कटौती की गई है।

******